

खबर संक्षेप

पूर्व कैबिनेट मंत्री यादव का किया स्वागत



भौरासा। भोपाल से इंदौर जाने के दौरान देवास भोपाल टोल टैक्स स्थित गौरव रेस्टोरेंट पर भौरासा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मिथुन यादव के नेतृत्व में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक सचिन यादव का कार्यक्रमों द्वारा भाव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रमों ने साफा बांधकर, पुष्प माला पहना कर यादव का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भौरासा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मिथुन यादव, किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विशाल गुर्जर, क्रांति लाल यादव, रमेश चंद्र गुर्जर, दिनेश यादव, दिलीप यादव, दिनेश चौहान, मनोहर यादव, कालू गुर्जर, सोनू यादव, सुनील उप सरपंच आदि लोग मौजूद रहे।

राज्यपाल गहलोत का किया स्वागत



भौरासा। नेवरी फाटे पर लक्ष्मण सिंह गुर्जर व रामचरण धाकड़ महडू के नेतृत्व में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत का इंदौर से भोपाल की ओर बीआर रिजॉर्ट पर जाते समय नेवरी फाटे पर पुष्प माला पहनाकर, दुपट्टा डालकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनिल चावड़ा, संजय जोशी, जय सिंह राणा, सुरेश मालवीय, मुकेश गोस्वामी, अजब सिंह धाकड़, करण सिंह यादव, मंवर साहब, कैलाश यादव, भारत सिंह यादव, दौलत यादव, प्रकाश बड़वाया, कन्हैया लाल यादव, कैलाश यादव, भीम सिंह आचार्य, भारत कुमावत आदि लोग मौजूद रहे।

होली एवं रमजान पर्व को दृष्टिगत रखते डीआईजी उज्जैन भसीन पहुंचे देवास

कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक में भसीन ने पुलिस अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश

एसपी गेहलोत की आमजन से अपील, होली और रमजान आस्था एवं अनुशासन का पर्व, पुलिस आपकी सुरक्षा हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध

हरिभूमि न्यूज ► देवास

आगामी होली एवं रमजान पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन राकेश गुला के मार्गदर्शन में पुलिस उपमहानिदेशक, उज्जैन रंज नवनीत भसीन द्वारा जिला कंट्रोल रूम, देवास स्थित सभागृह में कानून-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में एसपी पुनीत रोहलोद, एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया सहित जिले के समस्त शहरी थाना प्रभारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, थाना एवं चौकी प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में निर्देशित किया गया कि त्योहारों के दौरान जॉर टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, अस्माजिक, उपद्रवी एवं अपवहव फैलाने वाले तत्वों की पूर्व पहचान कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष गश्त, फ्लैग मार्च एवं ड्रोन निगरानी की जाए, प्रमुख चौराहों, बाजारों, धार्मिक स्थलों एवं जुलूस मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा अस्थायी अतिरिक्त कैमरे स्थापित किए जाएं। कंट्रोल रूम से 24x7 लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहे। वहीं सोशल मीडिया की सतत निगरानी कर



भड़काऊ/आपत्तिजनक सामग्री पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाए। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने हेतु विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए और शांति समितियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ सतत संवाद बनाए रखा जाए।

देवास पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

देवास पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन से अपील की है कि होलिका दहन स्थल पर पानी/रेत की व्यवस्था रखें; बड़े आयोजनों पर फायर ब्रिगेड अनिवार्य रूप से तैनात रहे। विवादित, यातायात बाधित या विद्युत तारों के नीचे दहन न करें। राहगीरों को जबरन रंग न लगाएं; केवल प्राकृतिक/हर्बल रंगों का उपयोग करें। होटल एवं ढाबे रात्रि 10 बजे तक बंद रखें। नाबालिग वाहन न चलाएं, दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं। नशे की अवस्था में

वाहन चलाने पर वाहन जब्ती एवं न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। नमाजियों को किसी प्रकार का व्यवधान न हो, मस्जिद मार्गों पर संयम एवं अनुशासन रखें। रमजान जुलूस/कार्यक्रमों के निर्धारित मार्गों पर पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे का उपयोग नियमानुसार एवं निर्धारित समय सीमा में ही करें। व्यक्तिगत विवादों को धार्मिक या सामाजिक स्वरूप न दें। पुलिस अधीक्षक पुनीत रोहलोद ने आमजन से अपील की है कि होली प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे का प्रतीक है तथा रमजान आत्मसंयम, आस्था एवं अनुशासन का पर्व है। दोनों त्योहार हमारी सांस्कृतिक एकता एवं सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी अप्रिय घटना अथवा आपात स्थिति में देवास पुलिस हेल्पलाइन नंबर 7049125083, आकस्मिक पुलिस सेवा Dial 112 अथवा निकटतम थाने से संपर्क करें।

आयुष विभाग ने वृद्धाश्रम में की गतिविधियां, वृद्धजनों का किया स्वास्थ्य परीक्षण

देवास। आयुष विभाग देवास द्वारा बसेरा वृद्धाश्रम में गतिविधियां सह स्वास्थ्य शिविर में बुजुर्गों को स्वस्थ और प्रसन्न रहने के गुर सिखाए गए। स्वास्थ्य शिक्षा आधारित संवाद प्रदर्शनी भी लगाई गई। मध्य प्रदेश शासन के स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन के अंतर्गत जिला प्रशासन, आयुष विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने वरिष्ठजनों के लिए प्रोग्राम फॉर काइनेटिक एंड मेटल रिस्क इम्प्रूवमेंट शिविर का आयोजन शुक्रवार को वृद्धाश्रम बसेरा में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पेंशनर संघ के अध्यक्ष गंगा सिंह सोलंकी रहे। वरिष्ठ नागरिक संस्था के अध्यक्ष ओपी पाराशर ने भी आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वृद्धों के समग्र विकास के लिए सरकार की चिंता सुखद है। किसी नागर ने कविताओं के जरिए अपनी बात रखी। जिला आयुष अधिकारी डॉ ममता जूनवाल ने कहा कि वृद्धजनों को निरोगी बनाने के लिए आयुष विभाग ने आयुर्वेद, योग, ऋतुचर्या तथा होम्योपैथी के शिविर आयोजित किए हैं। बसेरा वृद्धाश्रम के प्रबन्धक दिनेश चौधरी ने संवेद्य में चलने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि जब इन वृद्धजनों के चेहरे पर खुशी दिखती है तो मुझे जीवन सार्थक लगता है। वृद्धजनों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, योग, पंचमंत्र, ऋतुचर्या और होम्योपैथी के साथ बुजुर्गों के बीपी-शुगर की निःशुल्क जाँच भी की गई। आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुभाष भार्गव ने आभार व्यक्त किया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रॉजलि भारद्वाज तथा डॉ. आलोक जैन ने शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की। डॉ. संजीव पाटीदार तथा डॉ. दीपेश सोलंकी ने गतिविधियों में सहयोग किया।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के संबंध में आयोजित हुई प्रेस वार्ता, मंत्री सिलावट ने किया संबोधित

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जिला देवास द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रायसिंह सेंधव ने संबोधित किया। मंत्री सिलावट ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी और आधारभूत संरचना के विस्तार से मध्य प्रदेश को विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान किए गए हैं। नई जोड़ो परियोजना, नहरों के विस्तार और नई सिंचाई योजनाओं से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। फसल बीमा योजना के लिए पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है, जिससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को राहत मिल सके। साथ ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सिलावट ने बताया कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सड़कों के निर्माण, बिजली आपूर्ति सुदृढ़ करने और पेयजल योजनाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर



मृत गोवंश के अवशेष मिलने पर कांग्रेस का धरना, महापौर से इस्तीफे की मांग

हरिभूमि न्यूज ► देवास

शंकरगढ़ के पास नगर निगम के ट्रेडिंग ग्राउंड में मृत गोवंश के बिखरे हुए अवशेष मिलने के विरोध में शुक्रवार को शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम के नेतृत्व में मौन धरना दिया गया। इस अवसर पर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है।



देवास से लेकर दिल्ली तक सरकार होने के बावजूद ट्रेडिंग ग्राउंड पर मृत गोवंश की खाल निकालकर बेचे जाने और हड्डियां बेचे जाने जैसी घृणित घटना सामने आई है। इसके बावजूद महापौर गीता अग्रवाल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि निगम आयुक्त ने दोषी अधिकारी और कर्मचारी को निर्लंबित कर दिया है, लेकिन विधायक और सांसद ने भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतनी गंभीर घटना पर जनप्रतिनिधियों का मौन रहना समझ से परे है। उन्होंने मांग की कि महापौर गीता अग्रवाल शीघ्र माफी मांगें और अपने पद से इस्तीफा दें। साथ ही जिला प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेकर भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक वीडियो में महापौर

प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल यह कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने आयुक्त को आदेश दे दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें ऐसा कौन सा अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत वे आयुक्त को आदेश दे रहे हैं। नगर निगम नियमों के विपरीत कार्य कर रही है। गाय हमारी माता है का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने नगर निगम से घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक वीडियो में महापौर कदम उठाने की मांग की। धरने में प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता भगवान सिंह चावड़ा, शौकत हुसैन, सुधीर शर्मा, गुरुचरण सिंह सलूजा, रोशन रायकवार, जाहद पटान, नजर शंख, नरेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह गौड़, विशाल भाटिया, ईश्वर हरोड़े, विशाल भाटिया, दीपेश हरोड़े, कैलाश वर्मा, नयन पटेल, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे। आभार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कल्याण ने व्यक्त किया।

पत्रकार वार्ता

हरिभूमि न्यूज ► देवास



बजट प्रावधान किया गया है, जिससे जिला एवं ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं मजबूत होंगी। प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकारों के प्रश्नों का मंत्री तुलसी सिलावट एवं जिला अध्यक्ष रायसिंह सेंधव ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया और बजट की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उक्त जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कमल अहिरवार ने दी। इस अवसर पर जिला महामंत्री जिला यादव, मनीष सोलंकी, विजय सिंह पंवार, राजेश सह मीडिया प्रभारी दिनेश सांखला भी उपस्थित रहे।

जिप सीईओ ने मीडिया संवाद कार्यक्रम में विकसित भारत जी राम जी की दी जानकारी ग्रामीणों के लिए 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी: शर्मा

हरिभूमि न्यूज ► देवास

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (बीबी-जी राम जी) लागू किया गया है। बीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं प्रवृत्त कानूनी अधिकारों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से जिला पंचायत सभा कक्ष में मीडिया संवाद का आयोजन किया गया। मीडिया संवाद में जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा ने बीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 के विशेषताओं की जानकारी से अवगत कराया गया। जिला पंचायत सीईओ शर्मा ने बताया कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना 100 की जगह 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार, बेहतर बुनियादी ढांचा, समय पर मजदूरी और पारदर्शिता को मजबूत करता है। ग्राम सभाओं को योजना बनाने में सशक्त बनाया गया है, जिससे टिकाऊ ग्राम बुनियादी ढांचा विकसित होगा। समय पर भुगतान की गारंटी और देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान है। रीयल-टाइम एमआईएस (MIS) डैशबोर्ड, जीपीएस (GPS) मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट जैसे एडवेंस पारदर्शिता बढ़ेगी। जल सुरक्षा, आजीविका बुनियादी ढांचा, आपदा-सुरक्षा और ग्रामीण



कनेक्टिविटी जैसे कार्यों पर जोर दिया गया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप यह अधिनियम नया वैधानिक ढांचा स्थापित करता है। ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिवस का रोजगार गारंटी प्रदान की गई है। कृषि के चरम मौसम (बुआई एवं कटाई के सीजन) में एक वर्ष में 60 दिवस कार्य-विराम का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि श्रम उपलब्धता सुनिश्चित हो। दैनिक मजदूरी का भुगतान सप्ताहिक अथवा अर्धदिवसीय प्रद्व दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य है। रोजगार सृजन को चार प्राथमिक क्षेत्रों से

जोड़ा गया है। जल सुरक्षा संबंधी कार्य में नहरों का निर्माण, चेक डैम, तालाबों का पुनरुद्धार और वनीकरण कार्य किये जायेंगे। मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना ग्रामीण सड़कें, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आजीविका संबंधी अवसंरचना ग्रामीण हाट, अनाज भंडारण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए वर्कशॉप और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य-चक्रवात/बाढ़ आशय स्थल, तटबंध और जंगल की आग प्रबंधन जैसे कार्य किये जायेंगे। सभी परिस्परित्तियों

को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एकीकृत किया जाएगा। ग्राम स्तर पर विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण किया जाएगा। योजना को केंद्रीय क्षेत्र योजना से बदलकर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। यदि 15 दिवस में कार्य उपलब्ध न करया जाए तो राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता देय होगा। पंचायत राज संस्थाओं को योजना क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत कार्य लागत ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी योजना प्रबंधन, भुगतान एवं सामाजिक अंकेक्षण के उत्तरदायी होंगे। सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक छह माह में अनिवार्य किया है। डिजिटल उपस्थिति, आधार-आधारित भुगतान, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण आय वृद्धि, जल संरक्षण, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, जलवायु लचीलापन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को अवसंरचना-केंद्रित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढाँचे के अंतर्गत पुनर्संगठित करता है तथा दीर्घकालीन सतत विकास और आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सीईओ शर्मा की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित



हरिभूमि न्यूज ► देवास

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ज्योति शर्मा की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत शर्मा ने समस्त उपयंत्रियों को विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 मार्च 2026 तक समस्त जाँचकाईधारी श्रमिकों की ई-केवाईसी कार्य पूर्ण करें। उन्होंने सामग्री मद में पूर्ण राशि का 07 दिवस में शतप्रतिशत उपयोग करने तथा एक बगियां मां के नाम के समस्त कार्यों में शतप्रतिशत तार फेंसिंग के निर्देश दिए। सीईओ शर्मा

ने प्रधानमंत्री आवास के प्रगतिरत समस्त कार्यों पर मस्टर जारी कर उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए। शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की आवास पूर्णता की क्लस्टरवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सांसद निधि एवं विधायक निधि के अपूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, एनआरएलएम ब्लॉक कॉर्डिनेटर, सहायक लेखाधिकारी एवं जिला पंचायत के समस्त अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की जानकारी के लिए शिविर आयोजित

देवास। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना घटक अंतर्गत नगर परिषद खातेगांव, नेमावर, कन्नौद एवं कांटाफोड द्वारा निकाय स्तर पर बैंकों के अधिकारी/प्रतिनिधि के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत ब्याज सब्सिडी योजना शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें निकाय के इच्छुक आवेदनकर्ताओं को योजना के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन के लिए दस्तावेज एवं पात्रता आदि की जानकारी दी गई। शिविर में बैंक ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक ने भाग लिया।

विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीश ने दिया मार्गदर्शन एआई के दौर में शिक्षा ही सफलता की कुंजी



बागली। शासकीय माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन।

हरिभूमि न्यूज ► बागली

ग्राम पंचायत छतरपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायाधीश सुखराम सिनम रहे, जिन्होंने आधुनिक युग में शिक्षा के महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। अपने उद्बोधन में न्यायाधीश सिनम ने कहा कि आज का समय ऑनलाइन इंटरनेट्स और उन्नत तकनीक का है। ऐसे परिवेश में शिक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि "टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास उसे समझने और संचालित करने की उचित शिक्षा हो। एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के संचालन के लिए भी

शिक्षित होना अनिवार्य है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि वे समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत छतरपुरा की सरपंच निर्मला जवाहर पाटीदार, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष कमलेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष पिकेश गामी, सचिव गोपाल सेंधव, पुस्तकालय सचिव ओम प्रकाश पारस, सहसचिव संदीप पाटीदार, पूर्व पुस्तकालय सचिव एडवोकेट रवि जाटव, मुकेश जाट सहित न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक सुनील पाटीदार ने किया। विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा, कानून और आधुनिक तकनीकों के समन्वय का महत्व समझाया गया।

खबर संक्षेप

बाइक की टक्कर से घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत

ललितपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतरवांस तिरौला पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। थाना नाराहट के ग्राम क्योलारी निवासी कमला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 दिसंबर 2025 को शाम करीब 7.30 बजे उनके पति हुकुम सिंह अपने परिचित के साथ सतरवांस तिरौला के पास सड़क की पटरी पर खड़े थे। उसी समय ग्राम क्योलारी का ही इन्द्रपाल सिंह अपनी मोटरसाइकिल (संख्या- यूपी 94 ए.के. 3409) को बेहद तेजी और लापरवाही से चलाता हुआ आया और हुकुम सिंह को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से हुकुम सिंह सड़क पर गिर गए और उनके शरीर में गंभीर चोट आई। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए झांसी रेफर कर दिया गया। झांसी के अस्पतालों में सुधार न होने पर उन्हें ग्वालियर के कमला चिकित्सा समूह में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 10 जनवरी 2026 को उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी चालक इन्द्रपाल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

बिजली बिल राहत योजना शेष धनराशि जमा करने का अंतिम दिन आज

ललितपुर। जिले के ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं, जिनके द्वारा माह दिसम्बर, 2025 एवं जनवरी, 2026 में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अन्तर्गत 2 हजार रुपये जमा कर अपना पंजीकरण कराया गया है परन्तु अब तक अपने विद्युत बिलों के धनराशि में दी गयी छूट को प्राप्त करते हुए शेष धनराशि जमा नहीं की गई है, को अधीक्षण अभियन्ता वीरभद्र सत्यार्थी ने सूचित किया है कि वह अपने विद्युत बकाये की अवशेष धनराशि को 28 फरवरी 2026 तक प्रत्येक दश में विद्युत विभाग के काउण्टर, सीएससी, विद्युत सखी, मीटर रीडरों के माध्यम से जमा करा दें। यदि आपके द्वारा उपरोक्त बकाया धनराशि 28 फरवरी 2026 तक जमा नहीं कराया जाती है, तो आपके विद्युत बिल के सापेक्ष प्रदान की गयी 100 प्रतिशत ब्याज एवं मूलधन में प्रदान की गयी 15 प्रतिशत छूट पुनः आपके विद्युत बिलों में जुड़ जायेगी। जिसकी वसूली भू-राजस्व के माध्यम से की जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि 28 फरवरी 2026 को उक्त योजना समाप्त हो रही है। अतएव जिन पात्र उपभोक्ताओं द्वारा अपना पंजीकरण अब तक नहीं कराया है, से अनुरोध है कि आज ही अपना पंजीकरण कराते हुए 100 प्रतिशत ब्याज एवं 15 प्रतिशत मूलधन में छूट का लाभ प्राप्त करें।

बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास से जुड़े मामलों में कार्रवाई के निर्देश

सीहोर। कलेक्टर बालागुरु के. की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर बालागुरु के. ने बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास से जुड़े विभिन्न मामलों की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल संरक्षण से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में एएसपी दीपक कुमार शुक्ला ने भी बच्चों से जुड़े मामले में त्वरित कार्यवाही के लिये आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में संरक्षण एवं पुनर्वास के मामले में कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के प्रकरणों में कार्यवाही को तेज गति से संचालित करने के लिये अधिकारी स्वयं बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर दस्तावेज अथवा आवश्यक जानकारी एकत्र करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ बच्चों के हित में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों को जरूरतमंद बच्चों की पहचान, स्वास्थ्य परीक्षण, दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई।

गिन्नौट बाग में केंद्र के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का आयोजन 478 वृद्धजनों व 49 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया

हरिभूमि न्यूज ललितपुर
केंद्र सामाजिक न्यायवाद के अधिकार का मंत्रालय ने दिव्यजनों और वयोवृद्धों को संचालित राष्ट्रीय वयोश्री व एडिप योजनांतर्गत 478 वृद्धजनों व 49 दिव्यांगजनों को कुल 2771 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अनुराग शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यमंत्री भ्रम एवं सेवायोजन विभाग मनोहर लाल पंथ एवं विधायक संदर रामरतन कुशवाहा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्जन करते हुए अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शुभांशु सोनकर ने बताया कि इस वितरण शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की चलन दिव्यांगता के कारण आ रही समस्याओं एवं वृद्धजनों की वृद्धावस्था जनित समस्याओं को

सहायक उपकरणों यथा मोटराइज ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, नीकेप, सरवाईकल पिलो व बेट आदि के द्वारा दूर करना है। माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार द्वारा चलायी जा रही इन जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया और जनसामान्य को इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर को ऊँचा उठाने पर बल दिया गया। सांसद अनुराग शर्मा द्वारा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनने पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन लाभार्थियों को उपकरण वितरण कर, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त कर किया गया।



वेंडर सत्यापन और ट्रेन सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल तमिलनाडु एक्सप्रेस में आईआरसीटीसी की वर्दीधारी ने छात्रा से छेड़खानी की



हरिभूमि न्यूज ललितपुर

चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है। गाड़ी संख्या 12622 तमिलनाडु एक्सप्रेस में दिल्ली से चेन्नई जा रही 23 वर्षीय छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना सामने आने के

बाद रेलवे में वेंडर सत्यापन और ऑनबोर्ड निगरानी की प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चेन्नई निवासी छात्रा के अनुसार वह 24 दिसंबर को नई दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी। पीड़िता ने जीआरपी को दी तहरीर में बताया कि 25 दिसंबर को सुबह करीब 3.30 से 5.30 बजे के बीच, जब ट्रेन

झांसी स्टेशन पर कर आगे बढ़ रही थी, उसी दौरान यह घटना हुई। छात्रा का आरोप है कि वह अपनी सीट पर सो रही थी, तभी चाय बेचने वाले की आईआरसीटीसी की नीली वर्दी पहने एक व्यक्ति ने गलत नियत से उसे छुआ। कुछ ही देर बाद एक अन्य वेंडर ने भी उसके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर दोनों आरोपी मौके से भाग निकले।
देर से दर्ज हुई एफआईआर बड़े सवाल
घटना 25 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, जबकि जीआरपी ललितपुर में मुकदमा 26 फरवरी 2026 को दर्ज हुआ। इस लगभग दो महीने की देरी ने शिकायत प्रक्रिया और पुलिस प्रतिक्रिया की खुलासा खामियों को उजागर किया है। जीआरपी ने बीएनएस 2023 की धारा 75 के तहत एफआईआर संख्या 0019 दर्ज कर जवाब उपनिरीक्षक राजेश सिंह को सौंपी है। पीड़िता ने आरोपियों की पहचान करने की बात कही है। इस घटना ने रेलवे को यात्री सुरक्षा व्यवस्था के कई पहलुओं को चर्चा में ला दिया है, जिनमें ट्रेन में सेवा देने वाले कर्मियों

का पुलिस वेरिफिकेशन और पहचान प्रक्रिया कितनी प्रभावी है? लंबी अवधि तक आरोपियों का सक्रिय रहना ऑनबोर्ड सुरक्षा निगरानी पर प्रश्न उठाता है। घटना और एफआईआर के बीच लंबा अंतर पीड़ित सहायता तंत्र की गति पर सवाल खड़ा करता है।
रेलवे प्रशासन के लिए चेतावनी संकेत
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि यात्री सुरक्षा ढांचे की कमजोरी का संकेत है। यदि अधिकृत वर्दी में मौजूद कर्मियों पर ही सक्तीनिंग तथा ट्रेन सुरक्षा प्रोटोकॉल में क्या ठोस सुधार करता है। यदि किसी यात्री के साथ ट्रेन में ऐसी कोई घटना हो, तो तत्काल हेल्पलाइन 139 या रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 182 पर शिकायत दर्ज कराना सबसे प्रभावी पहला कदम माना जाता है।

ट्रेनों में सक्रिय है बैग लिफ्टर रेलकर्मियों समेत दो यात्रियों का कीमती सामान उड़ाया

हरिभूमि न्यूज ललितपुर

उत्तर प्रदेश के ललितपुर रेलवे स्टेशन और इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जीआरपी ललितपुर ने दो दिनों के भीतर चोरी की दो बड़ी घटनाओं की एफआईआर दर्ज की है। शांति चौरों ने न केवल एक आम यात्री की महंगी एप्पल वॉच पर कर दी, बल्कि रेलवे के ही एक स्टेशन मास्टर की वर्दी और जरूरी सामान से भरा बैग भी चोरी कर लिया।

आरो घर व बाइक की चाबियां रखी थीं। जीआरपी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 305(सी) के तहत मामला दर्ज किया है।

दूसरी घटना- वंदे भारत में एप्पल वॉच गायब

दूसरी वारदात देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस (22469) में हुई। मुंबई के वडाला निवासी मो. हसरत सैय्यद 31 जनवरी को टोकमगढ़ से निजामुद्दीन की यात्रा कर रहे थे। ललितपुर और झांसी स्टेशन के बीच, जब यात्री वाशरूम गया था। यात्री अपनी एप्पल वॉच वाशरूम में भूल गया था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने पार कर दिया। इस मामले में जीआरपी ने धारा 305(सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस जांच जारी

इन दोनों ही मामलों की जांच उपनिरीक्षक राजेश सिंह को सौंपी गई है। पुलिस स्टेशन के रिपोर्टों के अनुसार, दोनों ही मामलों में आरोपी फिलहाल अज्ञात हैं। जीआरपी यात्रियों से अपील कर रही है कि यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और बैग का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर स्टेशन आने और जाने के समय।

डेढ़ दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज गाली-गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को लाठी-डंडों से पीटा

ललितपुर। थाना तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खांदी (मजरा गडरयाना) में गुरुवार रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दुकान पर गुटखा लेने गए एक व्यक्ति को शराब के नशे में धुत दबंगों ने गाली-गलौज की और विरोध करने पर पूरे परिवार को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत पर 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

खुशीलाल ने उन्हें टोकते हुए गाली देने से मना किया, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
बचाने आए परिजनों को भी नहीं बख्शा
पीड़िता के अनुसार, जब वह अपने बेटे हनु उर्फ सरदार, नाती रामकिशोर और बहू काजल के साथ पति को बचाने पहुंचीं, तो सभी आरोपियों ने एकजुट होकर उन पर लाठी-डंडों और लात-घूंसें से हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के कई सदस्यों को चोट आई है। शोर सुनकर मोहल्ले के लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी प्रभु, सोनू, हरपू सहित कुल 17 पुरुषों और 4 महिलाओं (रामकली, रति, धुअन, ममता) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

तया है पूरा मामला ?

ग्राम खांदी निवासी इन्द्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 26 फरवरी की रात करीब 8 बजे उनके पति खुशीलाल पास की एक दुकान पर गुटखा लेने गए थे। वहां पहले से मौजूद प्रभु, सोनू और हरपू शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। जब

अधिकारियों ने दिया आश्वासन होली अवकाश मुद्दे को लेकर यूटा ने ज्ञापन सौंपा

ललितपुर। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) को जिला टीम ने होली अवकाश के मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को अलग-अलग ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि होली पर्व के लिए 2 मार्च और 4 मार्च का अवकाश घोषित है, जबकि 3 मार्च का अवकाश घोषित न होने से बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है और त्योहार मनाने में असुविधा की स्थिति बन रही है। यूटा पदाधिकारियों ने शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए 3 मार्च को भी अवकाश घोषित करने की मांग की। इस पर दोनों अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि उक्त तिथि के अवकाश के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और उस दिन अवकाश



रहने का प्रयास किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार गुप्ता ने दोनों अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों की भावनाओं को समझते हुए सकारात्मक रुख अपनाया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सतीश राठनिया (जिला सयोजक), अनिल राठौर (जिलाध्यक्ष यूटा), प्रमोद तिवारी (जिला महामंत्री), अंशु नामदेव (कोषाध्यक्ष), नवीन कुमार सिंह (उपाध्यक्ष), संजीव गुप्ता (उपाध्यक्ष), प्रवीण जैन (उपाध्यक्ष), संजीव श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष), राजेंद्र कुमार (ब्लॉक अध्यक्ष), भीम कुमार (ब्लॉक मंत्री) सहित अन्य शिक्षक नेता उपस्थित रहे।

भूमिहीन किसान की जमीन लेखपाल पर दो लाख रिश्वत लेकर पट्टे की जमीन कब्जाने की साजिश का आरोप



हरिभूमि न्यूज ललितपुर

तहसील क्षेत्र के ग्राम खिरियाभारनजूम में एक गरीब भूमिहीन किसान की पट्टे वाली कीमती जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पीड़ित किसान ने क्षेत्रीय लेखपाल पर विपक्षी से मोटी रकम लेकर उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कराने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी महारौनी को शिकायत पत्र सौंपा है।
ग्राम खिरियाभारनजूम निवासी छिद्दामी पुत्र डरूआ अहिरवार ने शिकायत पत्र में बताया कि वह और उसकी पत्नी हरकिया उर्फ राजनारी भूमिहीन श्रमिक हैं। शासन द्वारा उन्हें वर्ष 2005 में आराजी संख्या 1132क (स्कवा 0.304 हेक्टेयर) का पट्टा आवंटित किया

गया था, जिस पर वे पिछले 20 वर्षों से खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि उसकी जमीन सड़क के किनारे (रोड साइड) स्थित है, जिस पर गांव के ही एक रसखुदार व्यक्ति जगाना पुत्र सैतुआ अहिरवार की नीयत खराब है।
आरोप है कि लेखपाल पंकज यादव ने विपक्षी से दो लाख रुपये की अनुचित राशि लेकर साठ-गांठ कर ली है। लेखपाल ने करीब एक माह पूर्व पैमाइश के बहाने उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। जब किसान ने अपनी जमीन पर तस्वीर (नक्शा सुधार) करने से रोका, तो लेखपाल ने अभद्रता की। विपक्षी और लेखपाल मिलकर जबर्न जमीन पर कब्जा कराने और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित किसान छिद्दामी ने एएसडीएम से गुहार लगाई है कि लेखपाल को उसकी पट्टे वाली भूमि पर किसी भी प्रकार की अवैध तस्वीर या रंग भरने (नक्शा परिवर्तन) से रोका जाए। किसान ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वह न्यायालय की शरण लेगी को विवश होगा।

विवाहिता को ससुराल से निकालने की कोशिश

ललितपुर। थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दिवौरा में एक विवाहिता को उसके ससुरालियों द्वारा मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति, सास, जेट और जितानी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। ग्राम दिवौरा निवासी उषा यादव पत्नी गौरव यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी शादी करीब 9 वर्ष पहले हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उनका एक 7 वर्षीय पुत्र भी है। आरोप है कि पिछले कुछ समय से ससुराल पक्ष के लोग उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते और लगातार घर से जाने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के अनुसार 25 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे जब वह अपने घर पर थीं, तभी उनके पति गौरव, सास सुमन्ना, जेट ब्रजभान और जितानी सीमा ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लात-घूंसें और लाठी-डंडों से उनकी बेहमी से पीटाई कर दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। बानपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

छिपाई से वासी संपर्क मार्ग सड़क निर्माण को मंजूरी

ललितपुर। ग्राम छिपाई और बांसी की वर्षों पुरानी सड़क समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लोकसभा 2024 के दौरान किए गए संकल्प, विधानसभा में उठाए गए मुद्दे और मुख्यमंत्री मार्ग पर डब्ल्यूबीएम कार्य कराकर ग्रामीणों को तत्काल राहत दिलाई थी। अब उसी मार्ग के पूर्ण पक्कीकरण के साथ-साथ बांसी के मजरा टौरिया संपर्क मार्ग के निर्माण की स्वीकृति सुनिश्चित होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि हालिया विधानसभा सत्र में क्षेत्रीय संपर्क मार्गों की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद

मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में इन सड़कों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया, जिस पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई हुई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले मनरेगा से अस्थायी राहत मिली थी, लेकिन अब पक्की सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी, विद्यार्थियों का आवागमन आसान होगा और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता भी बेहतर होगी। समर्थकों का कहना है कि यह निर्णय स्थानीय मांग से राष्ट्रीय विजन तक के प्रभावी समन्वय का उदाहरण है, जबकि विपक्ष इस पर अपनी अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार लोकसभा 2024 के बाद इतनी शीघ्र स्वीकृति मिलना क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

होली के पावन पर्व से पुलिस की पहल 117 खोए मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे

हरिभूमि न्यूज ललितपुर

होली के पावन पर्व से ठीक पहले ललितपुर पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए गिरे/खोए हुए 117 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपये बताई गई है। इस पहल से मोबाइल पाने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक ने जनसुनवाई में प्राप्त मोबाइल गुमशुदगी संबंधी प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए सर्विलांस टीम एवं थानों पर गठित टीमों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।



अभियान के तहत पुलिस टीमों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा देश के कई राज्यों के अलग-अलग थानों से विभिन्न कम्पनियों के कुल 117 मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की। शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागाय

कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने बरामद मोबाइल उनके स्वामियों को सौंप दिए। इस दौरान लोगों ने ललितपुर पुलिस की कार्यशील की सराहना की है। पुलिस अधीक्षक ने उक्त कार्य करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया। मोबाइल बरामद करने वाली टीम में सर्विलांस प्रभारी उपनिरीक्षक अरुण कुमार, स्थाट प्रभारी उपनिरीक्षक अतुल तिवारी मय टीम, हेड कॉन्स्टेबल जिनेन्द्र सिंह, हेड कॉन्स्टेबल प्रशांत कुमार, कॉन्स्टेबल विहार्त कुमार, कॉन्स्टेबल मो. आमीर एवं कॉन्स्टेबल मोहित सिंह शामिल रहे।

कंडे बनाकर चारों ओर अतिक्रमण, किराए के मकान में चल रहा केंद्र विडंबना... आंगनबाड़ी भवन में मासूमों की जगह पसरा गोबर



हरिभूमि न्यूज ॥ ब्यावरा-राजगढ़

जनपद पंचायत ब्यावरा की ग्राम पंचायत खजूरिया में बच्चों के हक का सरकारी आंगनबाड़ी भवन बदहाली का प्रतीक बन गया है। लाखों की लागत से बना पक्का भवन बंद पड़ा है और उसके भीतर कंडे (उपले) थोपे जा रहे हैं। दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित किया जा रहा है। पंचायत की लापरवाही के चलते सरकारी भवन व पैसों दोनों का बंटाव हो रहा है और कोई जिम्मेदार देखने वाला नहीं है।

सरकारी संपत्ति खाली, निजी में किराए पर चल रहा केंद्र

गामीणों का आरोप है कि "भवन दूर है" का तर्क देकर जिम्मेदारों ने इसे बंद कर दिया, जबकि हकीकत में भवन उपयोग योग्य है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब सरकारी संपत्ति खाली पड़ी है तो किराए का भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है। बंद भवन का गामीण निजी कार्यों में उपयोग कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि निगरानी और जवाबदेही दोनों गायब हैं। किराए के मकान में बच्चों के बैठने, खेलने और पोषण वितरण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

2 साल से महिला बाल विकास दे रहा किराया

हालात यह है कि सरकारी भवन को सही करवाने के लिए पंचायत प्रस्ताव नहीं ला पाई और 2 साल से ज्यादा समय हो गया जब आंगनबाड़ी केंद्र निजी भवन में संचालित हो रहा है। बच्चों के हक का सवाल है अब जवाबदेही तय होना जरूरी है।
अधिकारी क्या लेते हैं संज्ञान
मामले में महिला बाल विकास अधिकारी लोकेश अग्रवाल ने कहा, कि पंचायत प्रस्ताव भेजेगी आंगनबाड़ी भवन में करकमत होना है "अभी इसको दिखवा लेता हूँ"
अब देखना होगा कि यह दिखवाना जांच तक सीमित रहता है या कारवाई भी होती है। गामीणों ने मांग की है कि तत्काल निरीक्षण कर केंद्र को सरकारी भवन में शिफ्ट किया जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।

फैक्ट फाइल

स्थान - ग्राम पंचायत खजूरिया, जनपद पंचायत ब्यावरा, जिला राजगढ़
मामला - सरकारी आंगनबाड़ी भवन बंद आरोप - भवन में व आसपास कंडे थोपे जा रहे, गामीण वर्तमान संचालन - किराए के मकान में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित
अधिकारी का बयान - "दिखावत लेता हूँ"
मांग - जांच और तत्काल शिफ्टिंग
कौन लेगा जिम्मेदारी !
क्या बिना उच्चाधिकारियों की जानकारी के भवन बंद हो सकता है?
जब सरकारी भवन मौजूद है तो किराए का भुगतान क्यों? बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी? क्या निरीक्षण कभी हुआ या सिर्फ कागजों में ही व्यवस्था पूरी है?

नर्सिंग छात्राओं को दिवाली गई मरीजों की सेवा-शुश्रूषा की शपथ



हरिभूमि न्यूज ॥ राजगढ़

मुख्यालय स्थित जीएनएम नर्सिंग महाविद्यालय में इस वर्ष नव-प्रवेशित छात्राओं के लिए शपथ-ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को सेवा, समर्पण और मानवीय मूल्यों के साथ मरीजों की सेवा-शुश्रूषा की शपथ दिलाई गई। आयोजित कार्यक्रम में एसडीएस निधि मारद्वारा नर्सिंग छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा और संवेदनशीलता का माध्यम है। नर्सिंग कोर्स पूर्ण होने के बाद जब आपकी मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तब सभी को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठाभाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। कार्यक्रम में उपस्थित डॉ. अंजली शर्मा ने नर्सिंग के क्षेत्र में अनुशासन, धैर्य, कठिनाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को निरंतर अध्ययन और व्यवहारिक दक्षता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज प्राचार्या श्रीमती मंगीका हठौला ने कहा कि यह शपथ आपको समाजसेवा के उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर करेगी। इस अवसर पर सावित्री वर्मा, टीना थामस, रश्मि तोमर, सुष्मा टोडेल, माया हिते सहित छात्राएं और स्टाफ उपस्थित रहा।

घुमंतु गौरव कप 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, कड़िया 11 बनी विजेता



हरिभूमि न्यूज ॥ ब्यावरा

विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समाज विकास समिति मध्यभारत प्रांत, द्वारा आयोजित घुमंतु गौरव कप 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन गुरुवार को पब्लिक क्लब ग्राउंड, ब्यावरा में हुआ। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में महाराणा प्रताप दूधी और कड़िया 11 के बीच रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें कड़िया 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम कड़िया 11 को प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 हजार नकद एवं शील्ड प्रदान की गई, जबकि उपविजेता महाराणा प्रताप दूधी टीम को 21 हजार नकद एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रांत घुमंतु कार्य प्रमुख लखन विश्वकर्मा ने बताया कि यह टूर्नामेंट 16 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, जिसमें मध्यप्रदेश के 8 जिलों से कुल 29 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य समाज में खेल भावना, संगठन और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना रहा। समापन में विभाग संचालक उदय सिंह चैहान, अभा घुमंतु समाज कार्य प्रमुख दुर्गादास व्यास, क्षेत्र कार्यवाह अशोक अग्रवाल, जगतगुरु शंकराचार्य दीक्षा महाराज, कलेक्टर गिरीश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी, प्रांत कार्यवाह हेमंत सेठिया, प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता, सह प्रांत प्रचारक सुरेंद्र सिंह, संगठन मंत्री क्रीड़ा भारती गिरीश जायसवाल, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल बंजारा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की बैठक आहूत

जिले में कुपोषण के समूल उन्मूलन के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कुपोषण का दंश खत्म नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कलेक्टर डॉ. गिरीश मिश्रा द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनआरसी संचालन, बेड ऑक्यूपेंसी, गंभीर तीव्र कुपोषित एवं मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चों की भर्ती तथा माताओं को देय मजदूरी प्रतिपूर्ति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अस्पतालों में शत-प्रतिशत से कम बेड ऑक्यूपेंसी पर कड़ी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कम बेड ऑक्यूपेंसी स्वीकार नहीं की जाएगी तथा कारणों की बिंदुवार जांच कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने स्वयं सुपरवाइजर से प्रश्न किया कि गंभीर तीव्र कुपोषित एवं मध्यम तीव्र कुपोषित श्रृंखला के चिन्हित बच्चों को तत्काल एनआरसी में भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी

नहीं थे कोई सूत्र पुलिस ने तकनीकी सहायता से पकड़े आरोपी एक माह के अंदर दूसरी बड़ी लूट का सारंगपुर पुलिस ने किया खुलासा

एफआईआर के 48 घंटे में माल सहित आरोपी गिरफ्तार 37.80 लाख का माल बरामद
हरिभूमि न्यूज ॥ सारंगपुर

एक माह के अंतराल में सारंगपुर पुलिस ने मसूर से भरे ट्रक लूट का खुलासा किया ही था कि दूसरी घटना हाईवेवर से भरे ट्रक की लूट की घटना संज्ञान में आई। इस दौरान फरियादी रामवीर जाट ने 20 फरवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 फरवरी को उनका ट्रक (एच आर 69 एफ 4093) भारत इंजीनियरिंग कंपनी से माल लोड कर नासिक के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में ड्राइवर टीनु शर्मा ने फोन पर वाहन में समस्या आने की जानकारी दी। बाद में ड्राइवर का फोन बंद हो गया और जीपीएस लोकेशन सारंगपुर कृषि उपज मंडी के पास मिली। 19 फरवरी को वाहन मालिक मौके पर पहुंचे तो ट्रक खाली मिला और माल गायब था। इस सारंगपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर एस डी ओ पी अरविंद सिंह। के मार्ग दर्शन में विशेष टीम गठित कर सारंगपुर पुलिस ने 11 टन लोहे से भरे ट्रक की लूट का महज 48 घंटे में पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट गए 11 टन लोहे के नट-बोल्ट (कीमत लगभग 12 लाख रुपये), 6 चक्का ट्रक (कीमत 25 लाख रुपये) एवं एक मोटरसाइकिल (कीमत 80 हजार रुपये) सहित कुल 37 लाख 80 हजार रुपये का



मशरूका बरामद किया है। इस सफलता के लिए सारंगपुर बायपास से लेकर विभिन्न स्थानों के 140 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर दो संदिग्धों की पहचान की गई। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मोटरसाइकिल से ट्रक रुकवाकर ड्राइवर से मारपीट की और ट्रक व माल छीन लिया। पुलिस ने आरोपियों अभिषेक पिता संजय मिश्रा (28) निवासी मुसाखेड़ी, इंदौर एवं जितेंद्र पिता बालाराम राठौर (31) निवासी सुल्तानिया, थाना पंचोर, जिला राजगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। पूरे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं एसडीओपी अरविंद सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आकांक्षा हाडा, उप निरीक्षक अमित त्यागी, सहायक आनंदीलाल भिलाला, आरक्षक अतुल मौर्य, बनवारी गुर्जर सचेंद्र रघुवंशी सहित टीम की सराहनीय भूमिका रही।

कुपोषण पर प्रशासन सख्त अमले को दिए तलख निर्देश



बच्चों की तुरंत भर्ती सुनिश्चित की जाए।
दो महिला कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश
बैठक के दौरान जिला चिकित्सालय में पदस्थ मंजू सिसोदिया एवं रचना मेवाड़े द्वारा एनआरसी में भर्ती बच्चों का नियमित फॉलोअप नहीं किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सुखनेर, ब्यावरा एवं राजगढ़ के सीडीपीओ को खराब प्रदर्शन पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सबसे कम प्रदर्शन करने वाली सुपरवाइजर को वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए गए।

नकली नोट चलाने वाले गिरोह को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगाया



मुखबि की सूचना पर संदिग्ध को पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 500 रुपये के 17 नकली नोट बरामद हुए। पुछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रेम सिंह निवासी ग्राम बिरजौपुरा बताया तथा अपने साथियों मांगीलाल, मुकेश एवं जितेंद्र के नाम उजागर किए। पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर उनके पास से नकली नोट जब्त किए। प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 489-ए, 489-बी, 489-सी, 489-डी एवं 201 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने 14 गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को धारा 489-बी में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 489-सी में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। निर्णय के बाद सभी आरोपियों को सारंगपुर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक बृज किशोर चैहान ने की।

नवीन बस स्टैंड के पीछे फैली गंदगी हटाने एवं क्षतिग्रस्त मूत्रालय की मरम्मत के निर्देश



करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय नगर पालिका के उपयंत्री विककी ब्राह्मण, स्वच्छता निरीक्षक सतीश कंडार एवं सफाई दरोगा जितेंद्र भैरवे उपस्थित रहे।

जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने कार्रवाई के लिए दिए निर्देश

अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही प्रकरणों में निष्पक्ष विवेचना, दोषियों पर कार्यवाही, पीड़ितों को त्वरित न्याय व सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया एवं एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों की उच्चाधिकारियों के द्वारा सतत निगरानी एवं थानों में प्राथमिकता से समीक्षा करने तथा एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में जनचेतना शिविर लगाकर उन्हें उनके विधिक अधिकारों व उनके हित में शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए गए साथ ही आगामी त्योंहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए गए :- सभी प्रकार के लंबित अपराधों का एक निश्चित समयवधि में निराकरण किया जाए। लघु अधिनियम जुआ, सट्टा, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध आर्मस, अवैध पशु परिवहन, आदि के विरुद्ध अभियान चलाकर

शासकीय महाविद्यालय छापीहेड़ा राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बना सरोकार

ग्राम खजुरी गोकुल में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का संचालन के छठवें दिन विशेष अतिथि के रूप में शर्मा पधारे पहले मां सरस्वती के चित्र पर मालिया अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया तथा शिक्षा को महत्व देते हमारे जीवन को संभारने के लिए महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सीख को शिक्षा के माध्यम से सीखना पड़ता है वैसे ही जीवन में उपयोगी जो हमारे दैनिक जीवन में आधार बनाकर नित्य आते हैं उन्हें हम कैसे निर्वहन करते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी शुद्ध वस्तुओं का सेवन करना इसी के साथ-साथ स्वच्छता एवं श्रमदान के लिए पल तैयार रहना इसी को समर्पण कहते हैं जीवन में उपयोगी वस्तुओं के साथ-साथ वृक्षारोपण अत्यंत जरूरी वृक्ष हमको जीवन दान देते क्योंकि वृक्ष में भी जान होती है गर मन के भाव से वृक्ष को रोज पानी देने से एक दिन चूक जाते हैं तो वृक्ष हमारी राह तकता है मनुष्य जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन अत्यंत जरूरी है हमको ऑक्सीजन वृक्ष ही प्रदाय करते हैं जीवन में हर व्यक्ति को एक वृक्ष रोपण जरूर करना चाहिए वृक्षारोपण करने का संकल्प लेना चाहिए साथ-साथ नकारात्मक चीजों को मन से दूर और सकारात्मक चीजों को अपनाना चाहिए के माध्यम से जो सिख सिखाई जाती है वह जीवन के हर पहलू पर खरी उतरती है जो उद्देश्य सरोकार साबित होते हैं उनका उद्घोषण निस्वार्थ भाव से होना चाहिए छठवें दिन में आज कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चाओं के साथ-साथ शिक्षा सत्र को बढ़ावा देते हुए छापीहेड़ा के वैद्य नरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार पूर्वक बखान कर समझाया गया तथा उक्त उद्देश्यों को जीवन में उपयोगी बातें मन में संग्रह करने के लिए प्रेरित भी किया।

पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम में ली समीक्षा बैठक



पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में जिले में पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे। पुलिस महानिरीक्षक अरविन्द कुमार सक्सेना द्वारा जिले में लंबित एससी-एसटी एक्ट से संबंधित अपराधों की स्थिति की समीक्षा की गई, इस दौरान थानावार लंबित अपराधों, लंबित चालान, लंबित राहत प्रकरणों की समीक्षा कर भविष्य में इन मामलों में और



जिरो डॉलरस की नीति के तहत कार्यवाही की जाए। सभी लेवल पर सीएम हेल्पलाइन, सीएम मोनिट, सीएम हाउस एवं बट्टि कार्यालयों की लंबित शिकायतों का समयवधि में संतुष्टि पूर्वक निराकरण करें। नाबालिगों के अपहरण के मामलों में तत्परता से कार्यवाही कर अपहृतों को यथा शीघ्र दस्तयाब करें। संपत्ति

संबंधी अपराधों में सक्रियता से कार्यवाही करें और संपूर्ण रिकवरी के प्रयास किये जायें। थाना क्षेत्र के असामाजिक तत्वों की सूची तैयार कर उन पर अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। थानों पर रखे जाने वाले विभिन्न रजिस्ट्रों का संधारण सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए। सभी राजपत्रित पुलिस